

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-अंग्रेजी(टीएसपी)-2018/2020/

दिनांक 13/08/2020

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, सम्भाग कार्यालय,
उदयपुर ।

विषय :- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 विषय-अंग्रेजी (टीएसपी) में चयनित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन करने के संबंध में।

प्रसंग :- शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (युप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का पत्रांक प.17(7)शिक्षा-2/2016 जयपुर, दिनांक 02.07.2020 के क्रम में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(02)परीक्षा-ग/व0अ0/माध्य.शिक्षा/2018-19/अभिस्तावना/2242 दिनांक 06.03.2020 द्वारा वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 में विषय-अंग्रेजी (टीएसपी) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित किये गये अभ्यर्थियों का विभाग स्तर से परिनिरीक्षा उपरान्त प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्रांक प.17(7)शिक्षा-2/2016 जयपुर, दिनांक 02.07.2020 (प्रति सलंगन) में अंकित शर्तों के अनुसार सम्भाग आवंटन सूची मय मूल विस्तृत आवेदन पत्र संलग्न कर लेख है कि दिनांक 17/08/2020 को परामर्श शिविर (काउंसलिंग) आयोजित किया जावे।

विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु रिक्तियां एवं वरीयता सूची इस कार्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग की ईमेल आईडी sa.dse@rajasthan.gov.in पर काउंसलिंग पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। काउंसलिंग (परामर्श कैम्प) आयोजित कर एवं निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-1A पद पर नियुक्ति आदेश जारी कर विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस पर प्रकाशित कर प्रति तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें -

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. चयनित आशार्थियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें। आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं अभ्यर्थी की विगत (details where about) की सही जांच कर आदेश जारी किये जावे त्रुटियां नहीं हो। त्रुटियां होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावे।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-1A/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
4. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की रिथति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
7. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जावे एवं नियुक्ति पश्चात इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच आप

द्वारा दल का गठन कर एक माह के भीतर आवश्यक रूप से करवाई जायें। इसके साथ ही आप द्वारा गठित जाँच दल को राज्य से बाहर की यात्रा हेतु सक्षम स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सगरस्त अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायें।
9. आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-
 1. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
 2. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
10. आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई चयनित अभ्यर्थियों की सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के वर्ग इत्यादि में यदि अन्तर पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन-पत्र सूची के निदेशालय को भिजवाये ताकि आयोग कार्यालय को भिजवाकर प्रकरण की आयोग स्तर पर जांच की जा सकें।
11. नियुक्ति अधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों से जांच की जानी आवश्यक है एवं जांच में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र मय सूची इस कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करे ताकि आयोग कार्यालय को लौटाया जा सकें।
12. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-11 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/-रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षती पुर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
17. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशनर ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
18. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जायें कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि संलग्न सूची में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के संमुख दर्शाया गया है।
19. संलग्न सूची में कतिपय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/रथाई पते में सहवन से कोई त्रुटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरुस्त करें।
20. आयोग द्वारा चयनित कतिपय अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंकित विशेष वर्ग (विकलांग/विधवा /परित्यक्ता) का उल्लेख नहीं होने पर आप ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें जिला स्तर पर तैयार की गई वरियता सूची में प्राथमिकता प्रदान करावें।
21. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति प्रयोगशाला सहायक, भर्ती परीक्षा-2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगे।
22. टीएसपी एरिया हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति (TGEM, TGEF, TSTM, TSTF, TSCM, एवं TSCF के प्रति) चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी एरिया में ही पदस्थापित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में

पदस्थापित नहीं किया जावे। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन टीएसपी एरिया में नहीं किया जावे।

23. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प.7(3)कार्मिक/ क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।

24. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक 31/08/2020 निर्धारित की जावे।
वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 में चयनित एवं अभिस्तापित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन उपरान्त नियुक्ति/पदस्थापन हेतु रिक्तियों एवं वरियता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावे।

A. सम्भाग आवंटन के पश्चात सम्भाग स्तर पर पदस्थापन की प्रक्रिया :-

1. पदस्थापन हेतु प्रदर्शित किये जाने वाले स्पष्ट रूप से रिक्त पदों के चयन की प्रक्रिया :- सम्भाग में उपलब्ध करवाये गये चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु जिलेवार स्पष्ट रिक्त पदों की संख्या का निर्धारण सम्भाग के सभी जिलों में सम्बन्धित विषय के उपलब्ध वरिष्ठ अध्यापक के स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या के अनुपात में किया जावेगा।
2. पदस्थापन बाबत सम्भाग को उपलब्ध अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु जिलेवार उपलब्ध अभ्यर्थियों के अनुपात में विद्यालयों को निम्न प्राथमिकता अनुसार (125 प्रतिशत राउण्डअप) प्रदर्शित किया जायेगा -
 - a) वरिष्ठ अध्यापक के ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्धित विषय के रिक्त पद वाले उमावि (कक्षा 9 से 10 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
 - b) यदि बिन्दु संख्या - a) से उपलब्ध विद्यालयों की संख्या, प्रदर्शित की जाने वाली विद्यालयों की संख्या से कम हो तो, वरिष्ठ अध्यापक के ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्धित विषय के रिक्त पद वाले मावि (कक्षा 9 से 10 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
 - c) यदि बिन्दु संख्या - a) व b) से उपलब्ध विद्यालयों की संख्या, प्रदर्शित की जाने वाली विद्यालयों की संख्या से कम हो तो, वरिष्ठ अध्यापक के ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्धित विषय के रिक्त पद वाले उप्रावि (कक्षा 1 से 8 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
 - d) यदि बिन्दु संख्या - a), b) व c) से उपलब्ध विद्यालयों की संख्या, प्रदर्शित की जाने वाली विद्यालयों की संख्या से कम हो तो उपरोक्त a), b) व c) चरणों को क्रमानुसार शहरी विद्यालयों हेतु दोहराया जायेगा।
3. पदस्थापन की कार्यवाही केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर ही की जायेगी।
4. टीएसपी एरिया में टीएसपी हेतु निर्धारित नियुक्ति नियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
5. सीधी भर्ती से चयनित वरिष्ठ अध्यापक (विषयवार) के पदस्थापन हेतु वरीयता का क्रम निर्धारण निम्नानुसार किया जावे-
 - i. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
 - ii. विधवा महिला-विकल्प प्रस्तुतीकरण के साथ काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/-रु० के स्टाम्प पेपर पर मय पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
 - iii. परित्यक्ता महिला-सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिक्री एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/-रु० के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने पर। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
 - iv. एकल महिला (अविवाहित) - 50/- रु. के स्टाम्प पेपर पर अविवाहित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
 - v. भूतपूर्व सैनिक। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
 - vi. पति-पत्नी प्रकरण (पति अथवा पत्नी जैसी स्थिति हो) में से कोई पूर्व से राज्य सेवा/राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड/उपक्रम में आवंटित संभाग में कार्यरत हो तो पति अथवा पत्नी द्वारा कार्यरत पति/पत्नी के वर्तमान पदस्थापित जिले में रिक्त उपलब्ध होने पर वरियता सूची में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कार्यरत पति/पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण पत्र को आधार माना जाएगा। यदि आवंटित संभाग में पति/पत्नी पूर्व से कार्यरत नहीं है तो मेरिट/श्रेणी के अनुसार वरियता का निर्धारण किया जाएगा।
 - vii. उक्त भर्ती में समान/असमान विषय में पति-पत्नी दोनों के चयन होने की स्थिति में एवं एक ही संभाग आवंटित होने की स्थिति में दंपत्ति में से किसी एक को प्राप्त उच्च वरियता के क्रमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग संभाग आवंटित होता है तो मेरिट/श्रेणी के अनुसार वरियता का निर्धारण किया जाएगा।

- viii. शहीद परिवार आश्रित (अविवाहित पुत्री/वीरांगना) को सम्बन्धित शहीद का राक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं पुत्री की स्थिति में अविवाहित होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
- ix. महिला अभ्यर्थी। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
- x. अन्य शेष अभ्यर्थी। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
6. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा A के विन्दु संख्या 1, 2, 3 एवं 4 के अनुसार तैयार की रिक्तियों की सूची एवं बिन्दु संख्या-5 के अनुसार तैयार की गई वरियता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा किया जाकर वरियता सूची निर्धारित क्रमानुसार **Counselling Camp** (परामर्श शिविर) आयोजित किया जायेगा।
7. कार्मिक द्वारा **Counselling Camp** (परामर्श शिविर) में प्रदर्शित रिक्तियों में से चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के फोटोयुक्त आदेश जारी कर विभागीय वेबसाईट और कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जायेंगे।
8. वरिष्ठ अध्यापक के पद चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो **Counselling Camp** (परामर्श शिविर) में अनुपरिथत रहेंगे उन्हें **Counselling Camp** (परामर्श शिविर) पश्चात् संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में शेष रही रिक्तियों पर पदस्थापन के फोटोयुक्त आदेश जारी कर विभागीय वेबसाईट और कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जायेंगे।
9. आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों की जाँच कर आदेश जारी किये जावें, त्रुटियां नहीं हो। संस्थागत त्रुटिया होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय जाँच सुनिश्चित की जावें।
10. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय द्वारा **Counselling Camp** (परामर्श शिविर) आयोजन के दौरान वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी एडवाइजरी में प्रदत्त निर्देशों की सम्यक पालना सुनिश्चित की जायेगी।

B. परिवेदना निस्तारण –

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशा-निर्देश एवं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों/परिपत्र आदि के क्रम में काउंसलिंग उपरांत पदस्थापन के बाबत आपत्ति/परिवेदना देने की निम्न प्रकार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है –

1) परिवेदना हेतु पात्रता –

किसी भी अभ्यर्थी की परिवेदना पर समुचित विचारण की आवश्यक शर्त उक्त अभ्यर्थी द्वारा जारी पदस्थापन आदेश में अंकित नियुक्ति स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण कर लिए जाने की होगी। परिवेदना प्रस्तुतकर्ता द्वारा नव पदस्थापित विद्यालय के संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष से उक्त परिवेदना प्रार्थना पत्र अग्रेषण उपरान्त प्रेषित/प्रस्तुत किए जाने पर ही विचारण किया जा सकेगा।

2) पदस्थापन स्थान सम्बन्धी आपत्ति –

किसी भी अभ्यर्थी को सम्भाग आवंटन उपरान्त काउंसलिंग के माध्यम से सम्भाग स्तर पर पदस्थापन स्थान (विद्यालय) सम्बन्धी आपत्ति हो, तो कार्यग्रहण के पश्चात् 15 दिवस की अवधि में संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय द्वारा निदेशालय स्तर से जारी काउंसलिंग दिशा-निर्देशों में से जिस बिन्दु का उल्लंघन किया गया है, उक्त बाबत स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय में अपनी परिवेदना स्वयं उपरिथति होकर दे सकेंगे।

3) निस्तारण हेतु निर्धारित अवधि –

सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा उनके अधीनस्थ नवपदस्थापित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत समस्त परिवेदनाओं पर समुचित विचारण उपरान्त समस्त परिवेदनाओं के सम्बन्ध में 15 दिवस की समयावधि में स्पष्ट अनुशंसा सहित औचित्यपूर्ण टिप्पणी अंकित करते हुए समस्त प्रकरणों का समेकन कर निदेशालय को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाएगा।

4) संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन –

सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा निदेशालय से परिवेदना स्वीकृति अनुमोदन के उपरान्त ही परिवेदक अभ्यर्थी के पदस्थापन स्थान में संशोधन किया जा सकेगा। इसके अलावा नव पदस्थापित वरिष्ठ अध्यापक (संबन्धित विषय) के पदस्थापन स्थान में किसी भी संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा स्वयं के स्तर पर कार्य व्यवस्थार्थ अथवा प्रतिनियुक्ति के नाम से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उक्त के साथ आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय के संस्थापन लिपिक को आवंटित अभ्यर्थियों के विस्तृत मूल आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के कमरा नम्बर-11 से दिनांक 14/08/2019 को उपरिथत होने हेतु पाबन्द करावें।

संलग्न :- सूची मय आवेदन पत्र (टीएसपी-16.....)



(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा / माध्य / संस्था / एफ-1 / 12102 / सी.भ. / व.अ.-अंग्रेजी(टीएसपी)-2018 / 2020 /
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक
13/08/20

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(युप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सिस्टम एनालिस्टेट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-11 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन के आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालयों से पदस्थापन हेतु प्राप्त वरीयता सूची, रिक्तियां एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे। यदि किसी संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय से वरीयता सूची, रिक्तियां एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां पत्र में अंकित निर्धारित कार्यक्रमानुसार अप्राप्त रहती है तो संबंधित अनुनागाधिकारी को नय सूची अवगत करावे।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण),
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 में अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित अम्बर्थियों के नियुक्ति हेतु सम्पाग आवंटन सूची

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-अंग्रेजी(टीएसपी)-2018/2020/

दिनांक 13/08/2020

S.N O	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	FATHER NAME	DOB	SELE.CAT.	H.CAT.	GENDER	OWN CAT.	आवंटित सम्पाग
1	1	266419	ALKA JAIN	DAYA LAL JAIN	19-Jul-95	TGEM		FEMALE	GE,WE,TSP-UR	UAIPUR
2	2	610382	KONICA JAIN	KANAKMAL JAIN	27-Jun-90	TGEM		FEMALE	GE,WE,RG,TSP-UR	UAIPUR
3	3	269623	HARSHIL PATIDAR	NATWAR LAL PATIDAR	30-Oct-91	TGEM		MALE	BC,RG,TSP-UR	UAIPUR
4	4	612654	DHULI RAM PATEL	NATHU JI PATEL	28-Aug-90	TGEM		MALE	BC,RG,TSP-UR	UAIPUR
5	5	151527	KAILASH CHANDRA BHOI	RAMAN LAL BHOI	02-Aug-86	TGEM		MALE	BC,TSP-UR	UAIPUR
6	6	267958	PRAFULLA JOSHI	PRABHA SHANKER JOSHI	17-Feb-80	TGEM		MALE	GE,RG,TSP-UR	UAIPUR
7	7	152027	JAGRITI MEHTA	PURNESH CHANDRA MEHTA	01-May-85	TGEF		FEMALE	GE,WE,TSP-UR	UAIPUR
8	8	155481	SMITA SHUKLA	JAY PRAKASH SHUKLA	18-Dec-88	TGEF		FEMALE	BC,WE,TSP-UR	UAIPUR
9	9	152782	PUSHP RAJ SINGH SHAKTAWAT	NARENDRA SINGH SHAKTAWAT	26-Apr-92	TGEM		MALE	GE,TSP-UR	UAIPUR
10	10	265401	PRIYANKA PARMAR	JEEVATRAM PARMAR	22-Nov-91	TSTF		FEMALE	TSP-ST,WE,NG,RG	UAIPUR



क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-अंग्रेजी(टीएसपी)-2018/2020/

दिनांक 13/08/2020

S.N O	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	FATHER NAME	DOB	SELE.CAT.	H.CAT.	GENDER	OWN CAT.	आवंटित सम्भाग
11	11	151313	MUKESH CHANDRA KATARA	KAMA	10-Mar-94	TSTM		MALE	TSP-ST,RG	UAIPUR
12	12	151425	PRAVIN KUMAR DODIYAR	KANHAIYA LAL	09-Aug-92	TSTM		MALE	TSP-ST	UAIPUR
13	13	154532	KAMLESH KUMAR	VALJI BUJH	02-Sep-91	TSTM		MALE	TSP-ST,RG	UAIPUR
14	14	526075	PRAKASH CHANDRA MEENA	RAMA MEENA	04-Dec-96	TSTM		MALE	TSP-ST	UAIPUR
15	15	265414	NEELAM PARMAR	JEEVAT RAM PARMAR	09-Jul-93	TSTF		FEMALE	TSP- ST,WE,NG,R G	UAIPUR
16	16	267590	YOGESH KATARA	SHANTI LAL KATARA	20-Oct-93	TSTM		MALE	TSP-ST	UAIPUR



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर